HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8692/2020

Ajay Kumar S/o Shri Krishan Kumar, Aged About 25 Years, Village Jandwala Bishnoiya, Tehsil Dabwali, District Sirsa (Haryana). (At Present Lodged In District Jail Hanumangarh).

----Petitioner

Versus

State, Through P.p.

----Respondent

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8693/2020

Narsi Ram S/o Shri Lichman, Aged About 21 Years, Village Chotala, Tehsil Dabwali, District Sirsa (Haryana). (At Present Lodged In District Jail Hanumangarh).

----Petitioner

Versus

State, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री कुलदीप शर्मा।

For Respondent(s) : श्री विक्रम शर्मा, लोक अभियोजक।

HON'BLE MR. JUSTICE DEVENDRA KACHHAWAHA

Order

18/08/2020

प्रार्थीगण की ओर से धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना, संगरिया जिला हनुमानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 281/2020 अपराध अंतर्गत धारा 8/18 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट में जमानत का लाभ देने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किये गये हैं।

प्रार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि प्रार्थी को प्रकरण में गलत रूप से फंसाया गया है। प्रार्थी को शक के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। बरामदशुदा अफीम की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थीगण से कोई

बरामदगी नहीं हुई है, बरामदगी सहअभियुक्त अश्वनी उर्फ पिन्टू उर्फ बिट्टू से हुई है।। सहअभियुक्त अश्वनी उर्फ पिन्टू उर्फ बिट्टू को इस न्यायालय की समकक्षपीठ के आदेश दिनांक 07.07.2020 से जमानत का लाभ दिया जा चुका है। प्रार्थीगण न्यायिक अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है, अतः प्रार्थीगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा विरोध करते हुये जाहिर किया कि प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के गंभीर आरोप है, अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बरामदगी की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है और प्रार्थीगण से बरामदगी नहीं होना बताया। प्रकरण के समस्त तथ्यात्मक स्थिति, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना, प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी अजय कुमार पुत्र कृष्ण कुमार, एवं नरसीराम पुत्र लिछमन, विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(DEVENDRA KACHHAWAHA),J

76-77AK/-